

प्रारूप-2

ग्राम  
ई-नेट

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी  
(प्रारम्भिक शिक्षा).....मुकुल राजस्थान

संख्या: 1102

फोन :  
फैक्स :

डालमिया विद्यामंडिर रेशनरी  
किंवद्वारा (छंटुवा)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 1 के उपर्युक्त (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदा,

आपके दिनांक 19/1/2010 अवैदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ परचातवर्ती प्रयोजन/नियोजन के प्रतिनियन से मैं .....विद्यालय का नाम पत्र साझें को दिनांक 2/1/2010 से दिनांक 5/5/2010 तक स्तर वर्ष की अवधि के लिए कक्षा ..... से कक्ष ..... English तक के लिए अधिनियम प्रयोग करने की सुझावना देता हूँ। उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है-

1. शास्त्रीय की मंत्री द्वारा अनिवार्य नहीं है और उसमें किसी भी लप्त में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संवर्तन के लिए कोई शास्त्रीय विवरण नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपर्युक्त 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपर्युक्त 2) के उपर्योग का पालन करता।
3. विद्यालय कक्ष 1 में उस कक्ष के बालकों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आर-पॉइंट के कमजोर वाले और अलापक सामूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उसके निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसके पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. 4. निविष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपर्योग के अनुसार प्रतिवृत्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

Page 26 of 28

लिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, मुकुल राजस्थान

5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्टॉरिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रदेश देने से इनकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रदेश जन्म, स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें विस्तृत एक उपलब्ध/निविष्ट अधार पर उत्तररक्ती चाहा गया है।

7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-

(i) प्रदेश द्वारा किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्ष में अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्पीड़न करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकारित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपर्योग के अनुसार एक निश्चितता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता दाले विद्यार्थीयों का समावेश किया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अहिताओं के साथ की जाती है। परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक किनके पास न्यूनतम अहिताएँ नहीं हैं, पाच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा न्यूनतम अहिताएँ नहीं हैं।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी ओर्ध्वापन कियाकलापों में निवाजित नहीं करेंगे।

विद्यालय सनुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पादयचर्चा के आधार पर पादयचर्चा का पालन करेगा।

विद्यालय की धारा-19 में अधिकारित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविद्याओं के अनुपात में विद्यार्थीयों का नामांकन करता।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-10 में यथानिष्ट विद्यालय के मूलकों और संनियोगों को दबाए रखेगा। अतिरिक्त के समय प्रदेश देने की गई प्रसुविद्याएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का सेत्र  
कुल निर्मित क्षेत्र

क्रोड रुपय का क्षेत्रफल  
कक्ष कमरों की संख्या

प्रदानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष  
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शोचालय


प्रदेशजल सुविधा  
निर्दु-डे-मील पकाने के लिए रसोई

दाघा रहित पहुँच

Page 27 of 28.

11. अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्णी/मुख्तकालय की उपलब्धता विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोइ गैर मान्यता नहीं देता।
12. विद्यालय भवनों या आच संस्थानों या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कोशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यष्टियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं के चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार देयर किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा).....मुकुल राजस्थान को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या-III.....है। कृपया इसे नोट करें और और इस कार्यालय के साथ किसी प्राचारण के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन अंतर सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निवेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, भंडार/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा).....द्वारा हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
19. संलग्न उपांबध-III के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

नवदीय  
कृष्ण  
प्रिंसिपल  
जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा, मुकुल राजस्थान  
प्रारम्भिक शिक्षा, मुकुल राजस्थान

For DALMIA SHIKSHA SAMITI  
  
PRINCIPAL  
DALMIA VIDYA MANDIR  
CHIRAWA  
  
(Secretary)